



महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक:- डब्लू. एम.-II/परिवीक्षा अवधि विस्तार/2024-25/ 14
दिनांक:- 17/05/2024

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, श्री प्रियांशु , प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु) को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति की तिथि से अगले एक वर्ष दिनांक -10.10.2024 तक को विस्तारित करने का अनुमोदन दिया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तिका (प्रशासकीय) खंड-1 की कंडिका 7.5 के अनुसार, "प्रमंडलीय लेखाकारों के संवर्ग में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, दो (02) वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।"

जातव्य हो कि किसी भी प्रमंडलीय लेखाकारों कि परिवीक्षा अवधि को दुगुनी अवधि ,यानि कुल परिवीक्षा अवधि को चार (04) वर्षों से आगे परिवीक्षाधीन नहीं रखा जा सकता है।

Sd/-

उप महालेखाकार (कार्य)
बिहार, पटना

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक०), सचिवालय,
2. उप महालेखाकार(कार्य),
3. WM-III (स्थानीय),
4. ITS-कार्यालय के Website पर अपलोड करने हेतु।

वरीय लेखा अधिकारी,
बिहार, पटना